राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-02-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री विजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-12-2016 के द्वारा दिनांक 04-11-2016 को प्रेषित पत्र के आधार पर प्रेषित किये गये पत्र का क्रमांक व दिनांक की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने आवेदन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को किया था जो कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 19-04-2017 को किया गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को पत्र दिनांक 20-04-2017 से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील के निर्णय से अपीलार्थी को वांछित सूचना के विनिश्चय से अवगत कराया गया है। अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 01-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के अनुसार प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 19-04-2017 व अपीलार्थी को सूचना पत्र दिनांक 20-04-2017 से प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 20-04-2017 की प्रति संलग्न है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है किन्तु अपीलार्थी को वांछित सूचना का विनिश्चय समय पर प्रदान नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी को सावचेत किया जाता है कि सूचना के अधिकार अनिधियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में समय पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त